फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री धीरज **विपक्षी : श्री भगवतीलाल**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 14/23**

जीसीएमएस : 2023/51

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 19.05.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा साकरिया खेडी पटवार हल्का साकरिया खेडी तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 170 पर दर्ज आराजी नम्बर 119, 201, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 किता 9 कुल रकबा 2.3633 हेक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम तन्हा खातेदारी के रूप में दर्ज हैं। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को अपनी पैतृक भूमि होना बताया हैं। वर्तमान में उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता विपक्षी संख्या 1 के नाम पर तन्हा खातेदारी से दर्ज हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रार्थीगण के दादा रामा के नाम दर्ज होना जाहिर होता हैं। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में से हिस्सेनुसार अपने नाम दर्ज कराने हेतु घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति होने से प्रार्थीगण का जन्म से हक निहित हैं। भूमि विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज होने से उक्त भूमि को विपक्षी सं. 1 खुर्द बुर्द व बेचान करने पर आमादा हैं। यदि विपक्षी सं. 1 को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षी सं. 1 अपने नाम दर्ज भूमि को विक्रय कर देता है तो इससे प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडकर प्रार्थीगण अपने हिस्से से वंचित हो जायेगे। प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होते हैं। इसलिए विपक्षी संख्या 1 को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किये जावेगे। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:12:34 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा साकरिया खेडी पटवार हल्का साकरिया खेडी तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 170 पर दर्ज आराजी नम्बर 119, 201, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 किता 9 कुल रकबा 2.3633 हेक्टेयर भूमि में मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षी संख्या 1 भगवतीलाल के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में से प्रार्थीगण के हक 3/4 हिस्से तक रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय लिखा जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया RAS)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:12:34 IST
Reason: SelfAttested